सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 819 राँची, गुरुवार, 26 कार्तिक, 1938 (श०)
17 नवम्बर, 2016 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

17 नवम्बर, 2016

विषयः- झारखण्ड राज्य अन्तर्गत संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने एवं उसे अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण करने की शक्ति संबंधित जिला के उपायुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में ।

संख्या-5/स.भू. दुमका(सोलर पावर)-107/15-5959/रा.-- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 25 मई, 2016 के मद संख्या-14 के रूप में मंत्रिपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-3261/रा. दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित किया गया है ।

2. संथाल परगना काश्तकारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949 की धारा-38 में गोचर भूमि को बंदोबस्त आदि नहीं किया जा सकता है । परन्तु लोक प्रयोजन हेतु अवसंरचना परियोजनाओं हेतु अर्जित/हस्तांतरित की जाने वाली भूमि के परिधि में गोचर भूमि रहने पर गोचर भूमि को भी अर्जित/हस्तांतरित

किया जाना आवश्यक है । महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श के आलोक में जितनी गोचर भूमि अर्जित/हस्तांतरित हेतु आवश्यक है, उतनी ही अन्य भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित कर अर्जित/हस्तांतरण की कार्रवाई की जा सकती है ।

3. संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका प्रक्षेत्र में गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'Civil Appeal No.-436/2011 [Arising out of SLP (C) No.-20203/2007], State of Jharkhand and others versus Pakur Jagran Manch reported in (2011) 2 SCC 591. में पारित आदेश के आलोक में महाधिवक्ता, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा परामर्शित किया गया है कि :-

"The Hon'ble Supreme Court in paragraph 24 and 25 of the above referred judgment reported in SCC which is also contained in paragraph 15 of the copy as appended in the correspondence side of the file mentions that :

Whenever it becomes inevitable or necessary to dereserve any Gochar for any public purpose (Which as stated above should be as a last resort), the following procedure contemplated in regulation 24 and 25 and section 38(2) should be strictly followed:-

(a) The Jurisdictional Deputy Commissioner shall prepare a note/report giving the reasons why the Gochar had been identified for any non grazing public purpose and record the non availability of other suitable land for such public purpose. The Deputy Commissioner shall send the said proposal for de-reservation to the State Government for its previous sanction.

(b) The state government should consider the request for sanction keeping in view the object of Gochar and the need for maintaining a minimum of 5% of village area as Gochar, and call for suggestions/objections from the villagers before granting sanction.

(c) If the state Government grants the sanction, the Deputy Commissioner should proceed to make an order de reserving, the Gochar by making appropriate entries in the record of rights and reclassify the same for the purpose for which it was de reserved.

(d) Whenever the Gochar in a village is de reserved and diverted to non grazing use, simultaneously or atleast immediately thereafter the state should make available alternative land as Gochar, in a manner and to an extent that the Gochar continues to be not less than 5% of the total extent of the village as provided under section 38(2) of the Tenancy Act.

When the Gochar is not Government land, but is village common land resting in the villagers and not the Government, the consent of the village headman and the Jamabandi Raiyats/Villagers in whom the land vests shall have to be obtained before de reservation and diversion of use of Gochar.

It appears from the records that necessary formalities as per law have been complied and the substituted land has also been proposed, therefore I do not find any impediment for the State Government in taking a final decision in the matter as proposed."

4. उल्लेखनीय है कि दिनांक 9 जुलाई, 2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक में विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एवं विभिन्न विभागों द्वारा की गई अधियाचना के त्वरित निष्पादन हेतु जमीन की आवश्यकता के मद्देनजर शीघ्रातिशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया है ।

5. प्रायः देखा जा रहा है कि विभागीय संकल्प संख्या-3261/रा. दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को प्रत्यायोजित किये जाने के बावजूद भी विभिन्न परियेजनाओं/योजना के लिए विभिन्न विभागों से भूमि की उपलब्धता के लिए प्राप्त अधियाचना के आधार पर उनको वांछित गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु उतना ही अन्य गैरमजरूआ भूमि गोचार अधिसूचित नहीं हो पा रहा है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यदि संबंधित उपायुक्तों को संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने की शक्ति संबंधित जिला के उपायुक्त को प्रत्यायोजित की जाती है, तो राज्य सरकार से प्राप्त अधियाचना के आलोक में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि शीघ्रता से अधिसूचित किया जा सकेगा, फलस्वरूप भू-हस्तांतरण की कार्रवाई भी शीघ्रता से निष्पादित किया जा सकेगा ।

6. अतः मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 16 नवम्बर, 2016 में मद संख्या- 8 में लिये गये निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सं-3261, दिनांक 30 मई, 2016 को संशोधित करते हुए संथाल परगना प्रमंडल, दुमका प्रक्षेत्र में गैरमजरूआ गोचर भूमि के हस्तांतरण के संबंध में गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु अन्य गैरमजरूआ भूमि को गोचर भूमि अधिसूचित करने एवं उसे अन्तर्विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण करने की शक्ति संबंधित जिला के उपायुक्त को प्रत्यायोजित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 819–50